

सशक्तीकरण, वैश्वीकरण एवं आधी आबादी का सच

सारांश

वर्तमान युग केवल विज्ञान और तकनीक का ही नहीं है बल्कि इसके साथ-साथ उदारीकरण, निजीकरण जैसी महत्वपूर्ण प्रक्रियाएं भी चल रही हैं। इन्ही धाराओं को समेटती महत्वपूर्ण धारा है—वैश्वीकरण। वैश्वीकरण के तीन प्रमुख तत्व पूंजीवाद, तकनीक और शक्ति बताए जाते हैं। इन तीनों ही स्तरों पर हमारी महिलाओं की संख्या बहुत कम है। शक्ति का सीधा संबंध संसाधनों पर नियंत्रण से है अर्थात् जिसके हाथ में शक्ति है नियंत्रण की, वह सशक्त है। प्रस्तुत अध्ययन का उद्देश्य वैश्वीकरण की प्रक्रिया में महिलाएं जिस प्रकार अपने रास्ते खोजती हुई सशक्त हो रही हैं या नहीं यह बताना है।

मुख्य शब्द : विकास, सशक्तीकरण, वैश्वीकरण, उदारीकरण एवं निजीकरण।

प्रस्तावना

आज की दुनिया बड़ी तेज रफ्तार से बदल रही है। इतिहास में यह पहली बार है कि स्थानीय और वैश्वीय (स्वबंस – लसवइंस) लोग एक कड़ी में बंध गए हैं। पिछले 15-20 वर्षों में संचार साधनों में वृद्धि एवं सूचना तकनीक के क्षेत्र में हुई प्रगति से घटित प्रक्रियाएं जो दुनिया भर में सामाजिक संबंधों को गहरा और घनिष्ठ कर रही है, समाजशास्त्री इसे वैश्वीकरण कहते हैं। एन्थोनी गिंडेन्स अपनी पुस्तक 'दी कान्सीक्वेन्सेज ऑफ मॉडरनिटी' में लिखते हैं—आधुनिकता का बहुत बड़ा परिणाम वैश्वीकरण है और इसमें समय और स्थान को नए सिरे से परिभाषित किया गया है।

अध्ययन का उद्देश्य

प्रस्तुत पत्र में वैश्वीकरण के कुछ परिणामों को लेते हुए महिला सशक्तीकरण की चर्चा की गई है।

वैश्वीकरण दो क्षेत्रों पर बल देता है उदारीकरण और निजीकरण। उदारीकरण का अर्थ है—औद्योगिक और सेवा क्षेत्र की विभिन्न गतिविधियों से संबंधित नियमों में ढील देना और विदेशी कम्पनियों को घरेलू क्षेत्र में व्यापारिक और उत्पादन इकाईयां लगाने हेतु प्रोत्साहित करना, जबकि निजीकरण के माध्यम से निजी क्षेत्र की कम्पनियों को उन वस्तुओं की सेवाओं और उत्पादन की अनुमति प्रदान की जाती है। जिनकी अनुमति पहले नहीं थी।

वैश्वीकरण तो एक प्रक्रिया है जिसमें देश एक दूसरे पर निर्भर हो जाते हैं और लोगों के बीच दूरियां घट जाती हैं। भौगोलिक सीमाएं पार हो जाती हैं। वास्तव में वैश्वीकरण ने हमें इतना निकट ला दिया है कि हम संसार को ग्राम की (लसवइंस टपससंहम) संज्ञा देने लगे हैं। वैश्वीकरण में केवल वस्तुओं और पूंजी का ही नहीं अपितु लोगों का भी संचालन होता है।

सशक्तीकरण बहुआयामी एवं बहुमुखी अवधारणा है जो कमजोर वर्ग या व्यक्ति को उस पर थोपी शक्तिहीनता को शक्ति प्राप्त वर्ग या व्यक्ति की स्थिति में बदलने को इंगित करती है। इसी क्रम में महिला सशक्तीकरण से अभिप्राय है कि महिला निर्णय निर्माण प्रक्रिया में सक्रिय भागीदारी कर दया एवं करुणा की पात्र के दायरे से निकलकर आत्मनिर्भर बन सके। अपने हुनर एवं आत्मविश्वास का विकास कर समाज के उत्थान में सक्रिय योगदान दे सके। इस प्रक्रिया के रूप में जिसमें महिलाएं भौतिक, मानवीय एवं बौद्धिक संसाधनों पर अधिक नियंत्रण एवं उन पर पहुंच बढ़ाकर घर, समुदाय व समाज में निर्णय प्रक्रिया में उचित हिस्सेदारी प्राप्त करें।

महिला सशक्तीकरण का मुद्दा भारत में राजनैतिक चर्चा का केन्द्र बिन्दु स्वतंत्रता के पश्चात से ही रहा है क्योंकि राजनैतिक कारणों से महिलाएं जीवन के हर क्षेत्र में पुरुषों से पिछड़ी हुई थीं। यद्यपि आर्य समाज और अन्य समाज सुधार के हर क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति को सुधारने के लिए कुछ प्रयास किया था और उस दिशा में कुछ सफलता भी मिल पाई। राष्ट्रीय आंदोलनों में गांधी जी ने यह कार्य करने का प्रयास किया किन्तु उनके प्रयासों का प्रभाव भी बहुत ही सीमित रहा। औपनिवेशिक शासकों द्वारा स्थापित पश्चिमी शिक्षा प्रणाली तथा

पूनम बजाज

सहायक आचार्य,

समाजशास्त्र विभाग,

चौधरी बल्लूराम गोदारा

राजकीय कन्या महाविद्यालय,

श्रीगंगानगर, राजस्थान

सरकार के द्वारा बनाये गये कानून भी इस दिशा में अधिक कारगर सिद्ध नहीं हो पाए। क्योंकि भारत की सामाजिक-सांस्कृतिक परिस्थितियां इसके मार्ग में बाधा बनी रही। राष्ट्रीय आंदोलन में इस बात पर सहमति जरूर बन गई कि महिलाओं के सशक्त किए बिना किसी भी आंदोलन की सफलता संदिग्ध रहती है। गोरतलब है कि राष्ट्रीय आंदोलन पर उदारवाद और साम्यवाद की उन प्रगतिशील विचारधाराओं का प्रभाव था जो नारी मुक्ति में आस्था रखते थे।

पण्डित नेहरू जैसे नेताओं ने महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति को सुधारने की प्रक्रिया शुरू की उन्होंने अपने देश के सामाजिक, आर्थिक विकास की समग्र अवधारणा के मूल आधार के बारे में ये शब्द कहे "जब स्त्रियां आगे बढ़ती हैं, तो परिवार आगे बढ़ता है, गांव आगे बढ़ते हैं, राष्ट्र भी अग्रसर होता है।" महिला सशक्तिकरण का उदय वैश्विक स्तर पर पाश्चात्य देशों में प्रारम्भ हुआ। एक आंदोलन के रूप में इसकी शुरुआत 8 मार्च 1975 को अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस से मानी जाती है। वैश्विक मंच के साथ भारत में वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण के रूप में बनाया गया।

महिला सशक्तिकरण का अर्थ यह नहीं है कि पुरुष सत्ता के स्थान पर महिला सत्ता को स्थापित किया जाए। किसी भी समाज का स्वरूप वहां की नारी की स्थिति पर निर्भर करता है। जैसा कि नेपोलियन ने भी कहा था "मुझे एक योग्य माता दे दो, मैं तुमको एक योग्य राष्ट्र दूंगा।" इसलिए भारत के संविधान के निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों में महिलाओं को पुरुषों के समान ही सामाजिक, आर्थिक व राजनैतिक दर्जा दिया तथा राज्य नीति के निर्देशक सिद्धान्तों में उनकी स्थिति सुधारने के लिए वचन दिया। पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर सभी पंचवर्षीय योजना में इस दिशा में प्रयास किये गये। प्रारम्भ में महिलाओं के उत्थान के लिए समाज कल्याण की रणनीति अपनाई गई। तत्पश्चात् इसके स्थान पर विकास की रणनीति को अपनाया गया। किन्तु इन सबका विशेष प्रभाव नहीं हो पाया। इस तथ्य की पुष्टि ज्वूतके मुनंसपजल तमचवतज ज जीम जंजने वीवउमद(1974) से होती है।

इसके अनुसार भारत सरकार की एक उच्च स्तरीय कमेटी द्वारा तैयार की गई इस रचना में दर्शाया गया कि संविधान के द्वारा स्थापित बराबरी के बावजूद महिलाएं पुरुषों की तुलना में हर क्षेत्र में पीछे हैं। शक्ति संरचना में उनकी भागीदारी बहुत कम है। हालांकि 73वें संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं में एक तिहाई आरक्षण द्वारा उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। लेकिन आज भी इसकी जमीनी हकीकत कुछ ओर ही है।

सन् 1991 में भारत सरकार द्वारा विष्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के दबाव में आकर अपनाई गई उदारीकरण, निजीकरण व वैश्वीकरण की आर्थिक नीति ने महिलाओं के लिए नई चुनौतियां पैदा कर दी हैं।

वैश्वीकरण के फलस्वरूप आज महिलाएं अपना बौद्धिक, सांस्कृतिक, आर्थिक और सामाजिक विकास तो कर रही हैं, परन्तु बहुत कम संख्या में महिलाओं का

वस्तुकरण तेजी से बढ़ता रहा है। आज महिला पुरुष के साथ प्रत्येक क्षेत्र में कार्यशील हैं फिर भी पहले से कहीं अधिक असुरक्षित।

वैश्वीकरण के पक्ष में तर्क दिया जाता है कि खुली बाजार व्यवस्था द्वारा अधिक प्रतिस्पर्धा आने से वस्तुओं की गुणवत्ता सुनिश्चित होगी। रोजगार के साधन बढ़ेंगे और प्रौद्योगिकी के माध्यम से सम्पूर्ण विश्व एकीकृत हो सकेगा। लेकिन महिलाओं के संदर्भ में परिणाम और भी नकारात्मक रहे हैं। वैश्वीकरण की प्रक्रिया से महिलाओं के समक्ष चुनौतियां बढ़ी हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि विश्व जनसंख्या की आधी आबादी महिलाओं की है। वैश्वीकरण के अन्तर्गत निजीकरण एवं उदारीकरण की नितियों का प्रभाव निर्धन तबके पर अधिक पड़ा है और संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्ययन यह स्पष्ट करते हैं कि निर्धनता के लैंगिक आयामनिरन्तर बढ़ रहे हैं। यह निर्धनता का महिलाकरण है। निष्चय ही इसमें वैश्वीकरण के आर्थिक कारकों की प्रमुख भूमिका है क्योंकि बहुराष्ट्रीय उद्यमों की होड़ में हमारे परम्परागत और छोटे उद्योग नष्ट हो रहे हैं। वर्तमान में विश्व के मजदूरों में महिलाओं का प्रतिषत लगभग 40 है। अधिकांश महिलाओं की आर्थिक संसाधनों तक पहुंच नगण्य है क्योंकि वैश्वीकरण के दो कारकों में 'शक्ति और ज्ञान' का स्थान प्रमुख है। इसमें 'विषिष्ट प्रवीण' महिलाओं को तो अवष्य लाभ मिला है किन्तु महिलाओं का बहुत बड़ा हिस्सा हाषिए पर है जिनके पास न तो प्रौद्योगिकी है, न शिक्षा न प्रवीणता और न ही संसाधन।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की महिला वैश्विक रोजगार रिपोर्ट के अनुसार समान काम के लिए अभी भी पुरुषों की तुलना में महिलाओं को कम वेतन मिलता है।

आज के मुक्त बाजार व्यवस्था में स्त्री देह, उसका सौन्दर्य विज्ञापन प्रदाताओं के हक में बहुत कामगार भूमिका निभा रहा है। टायर, जूते, शेविंग क्रम जैसे अनेक उत्पादों के विज्ञापनों में स्त्री विशेष से कोई संबंध न होते हुए भी उसकी छवि को गढ़ा जाता है।

वैश्वीकरण के दौर में स्त्री पुरुष की समानता की दुहाई देने वाले हमारे समाज में बीमार होने पर महिलाओं को गंभीर स्थिति में ही अस्पताल ले जाया जाता है। आज भी हमारे यहां प्रसव पूर्व सेवाएं शोचनीय दशा में हैं। प्रति 10 मिनट में एक महिला बच्चे को जन्म देते मर जाती है। स्वास्थ्य एवं पोषण के आंकड़े भी यह बताते हैं कि लड़कियां इस क्षेत्र में लड़कों की तुलना में अधिक उपेक्षित हैं। ग्रामीण एवं दूरदराज के क्षेत्रों में पर्याप्त शौचालय आज भी महिलाओं के लिए सपना है। भारत में प्रजनन स्वास्थ्य पर 12 बिलियन खर्च किया जाता है। जबकि इतना संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोप में इत्र (स्मत्निउम) पर खर्च कर दिया जाता है।

वैश्वीकरण औरतों के लिए एक ऐसी प्रक्रिया सिद्ध हो रही है। जो उनका शोषण कर रही है। आज हम उंगलियों पर गिनी जाने वाली कुछ महिलाओं को आगे बढ़ते हुए दिखाकर उन बहुसंख्यक महिलाओं की अनदेखी नहीं कर सकते जो गांवों में रहती हैं और अभी भी परम्परागत रूढ़ियों में जकड़ी हुई, अभावों से जुझती हुई, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए संघर्षरत हैं।

निष्कर्ष

इस प्रकार वैश्वीकरण एक अदृश्य शत्रु के समान एक छोटे से वर्ग का पोषण करते हुए करोड़ों लोगों के हितों को रौंदता हुआ आगे बढ़ रहा है। हमें यह देखना जरूरी है कि हम इसके दुष्प्रभावों को कम करते हुए महिलाओं के आत्मसम्मान की रक्षा कर उन्हें सशक्त बनाएं।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. केट मिलेट, सेक्सुअल पॉलिटिक्स, लंदन, सिफ्यर 1971
2. सिमोन द बुवो, द सेकण्ड सेक्स (1942) हार्मण्डसवर्थ, पेंग्विन 1972

3. प्रतिभा जैन, संगीता शर्मा (सं.) भारतीय स्त्री-सांस्कृति संदर्भ, जयपुर, रावत 1998
4. आशा कौशिक-नारी सशक्तीकरण विमर्श एवं यथार्थ, जयपुर, पाइन्टर 2004
5. प्रतिभा चतुर्वेदी-विकसित समाज में महिला सशक्तीकरण की यथार्थता, जयपुर, वाईकिंग बुक्स 2014
6. एस.एल. दोषी-आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता एवं नव समाजशास्त्रीय सिद्धान्त, जयपुर रावत 2003
7. महिला सशक्तीकरण के लिए राष्ट्रीय नीति 2001
8. प्रकाश नारायण नाटानी, महिला जागृति और कानून, अविष्कार पब्लिशर्स, जयपुर 2002